# प्रेस नोट 27.03.2021

**168 लीअर अवैध कच्ची शराब बरामद, 05 गिरफ्तार–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.03.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कुल 168 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर कुल 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस क्रम में थाना **घोसी** पुलिस द्वारा पलिया महमूदपुर के पास से अजय महतो पुत्र छेदी महतो निवासी कैरी जनपद लोहरदगा झारखण्ड, उपेन्द्र उरांव पुत्र छून्नु उरांव निवासी चिरी बरबा टोला कुट्टू जनपद लोहरदगा झारखण्ड दोनों के कब्जे से 100 लीटर अवैध कच्ची शराब, कारीसाथ के पास से अवधेश पुत्र रामपत, बलिराम पुत्र रामपत निवासीगण चकबब्बन थाना घोसी के कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा भटिया के पास से रामसरिख पुत्र पूर्णवासी निवासी टमटा दुबारी थाना मधुबन के कब्जे से 18 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 27.03.2021 को थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान दोहरीघाट पुल के पास से मु0अ0सं0 88/21 धारा 376,323,504 भादवि0 में वांछित अभियुक्त मनीष यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी कस्बा दोहरीघाट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**शांति भंग की आशंका में 25 व्यक्ति तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 27.03.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा नरमू राजभर निवासी प्रभूटण्डा थाना रानीपुर, अनीस, महफूज, महताब, सुख्खु, सरोज, पतिराम, चन्दन निवासीगण जमुआरी थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा दिनेश राम निवासी मीरपुर थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा किसोरी, विर्जू, मनोज, विजयी निवासीगण धवरियासाथ थाना कोपागंज, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा आनन्द, अनामिका, अजय, रंजना, पूनम निवासीगण खरगजेपुर, दिनेश, वृजेश, संजय निवासी बढुआगोदाम थाना सरायलखंसी, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा जितेन्द्र, संतोष निवासीगण काजीपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा श्रीनाथ चौधरी, आशीष निवासीगण राजारामपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा **वारंटी अभियुक्त** ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्याम नारायण सिंह निवासी पीलखी थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।